

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक एफ-31(30)जविप्रा/सम/विविध/2005/डी- 2979

दिनांक :- 14-12-05

परिपत्र

आज्ञा क्रमांक प-14(25)जविप्रा/संस्था/2002 दिनांक 29.11.05 से जारी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-9(23)गृह-5/05 दिनांक 03.10.05 एवं दिनांक 12.10.05 से लागू सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक माह में सूचना देना अनिवार्य है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त प्रकरणों में चाही गई सूचना प्रकरण की महत्ता को मध्यनजर रखते हुए अतिशीघ्र सम्प्राप्ति में ही आवेदक को भिजवाकर प्रति समन्वय प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दें। समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी की होगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण आयुक्त महोदय की जानकारी में लाया जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (विधि/वित्त/अभियांत्रिकी/नगर आयोजना/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम एवं पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी./वी.पी.सी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
8. समस्त सर्किल अभियन्ता _____ जविप्रा, जयपुर।
9. समस्त उपायुक्तगण _____ जविप्रा, जयपुर।
10. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त जोनल अभियन्तागण, जविप्रा, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण/व्यय एवं बजट), जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी (कार्मिक/जनसम्पर्क/अभाव अभियोग/संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर।
14. लेखाधिकारी (मुगतान), जविप्रा, जयपुर।
15. उद्यानविज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
16. संयुक्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
17. प्रभारी जनसुनवाई केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
18. सहायक आयुक्त सामान्य प्रशासन, जविप्रा, जयपुर।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर